भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 327

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत संभारतंत्र संबंधी दक्षता

***327. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:**

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएम-एनएमपी) और अन्य संबंधित पहलों के अंतर्गत संभारतंत्र संबंधी दक्षता बढ़ाने और संभारतंत्र लागत को कम करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू और पूरी की गई संभारतंत्र अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात पर इन उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत संभारतंत्र संबंधी दक्षता' विषय पर दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी), लॉजिस्टिक्स ईज अक्रोस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स), कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु क्षेत्रगत योजना (एसपीईएल), एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) आदि जैसी विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी), जिसे अक्टूबर, 2021 में शुरू किया गया था। यह अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत आयोजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक साथ लाने का एक परिवर्तनकारी "समग्र सरकारी" दृष्टिकोण है। पीएमजीएस एनएमपी का उद्देश्य अवसंरचना विकास की निगरानी, योजना और अनुकूलन के लिए भू-स्थानिक डेटा, सैटेलाइट इमैजरी और एपीआई एकीकरण का उपयोग करके डेटा आधारित निर्णय लेने में मंत्रालयों/राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। पीएमजीएस एनएमपी, मंत्रालयों/राज्यों को सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित उनकी संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत, समकालिक और समन्वित तरीके से योजना बनाने के संबंध में सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि विभिन्न प्रकार के परिवहन के माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही हेतु निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी और यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी।

इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर (एचएससी)/एक्सप्रेसवे, रिंग रोड/बाईपास के निर्माण और पत्तनों/हवाई अड्डों तथा औद्योगिक कॉरिडोर/नोड्स तक कनेक्टविटी प्रदान करने पर फोकस किया गया है।

भारतीय रेल ने अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रक्रिया में पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों को अपनाया है, जिससे परियोजनाओं के मूल्यांकन, मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी आई

है। इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और परियोजना लागत में कमी आई है। अब विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास हेतु, सभी नई लाइन, गेज कन्वर्जन और दोहरी लाइन बिछाने की परियोजनाओं का सर्वेक्षण पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत आयोजना, उन्नत लॉजिस्टिक्स दक्षता, पहले एवं अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी तथा लोगों, वस्तुओं/माल की निर्बाध आवाजाही में समग्र रूप से सुधार करना और आने वाली कमियों को दूर करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की शुरुआत सितंबर, 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य: (i) भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना; (ii) लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना; तथा (iii) कुशल लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम हेतु डाटा-आधारित निर्णय लेने के लिए सहायता प्रणाली तैयार करना है। एनएलपी की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के संबंध में किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी के लगभग 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य है।

- विश्व बैंक के नवीनतम वैश्विक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग 6 स्थान के सुधार के साथ 38वें स्थान पर पहुंच गई है।

- 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियां तैयार कर ली हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

- एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म - यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), जो एपीआई के माध्यम से डाटा साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करता है, को शुरू किया गया है और प्रचालनरत है।

- लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (एलडीबी) विकसित किया गया है, जो पत्तनों, सीएफएस (कंटेनर फ्रेट स्टेशनों) और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के सभी एक्जिम (निर्यात-आयात) कंटेनरों को ट्रैक करता है।

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित शिकायतों/मुद्दों के समाधान और सुधारों के सुझाव हेतु सेवा सुधार समूह (एसआईजी) को संस्थागत रूप दिया गया है।

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का आकलन करने के लिए, लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) फ्रेमवर्क को संस्थागत रूप दिया गया है।

- कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, औषध, खाद्य आदि प्रमुख वस्तुओं के मामले में कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु क्षेत्रगत योजना (एसपीईएल) शुरू की गई है।

- 100 से अधिक विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कुल 68 क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) लागू किए गए हैं, ताकि दक्षता बढ़ाई जाए, प्रशिक्षण को मानकीकृत किया जा सके और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर किया जा सके। इन क्यूपी में डिजिटल साक्षरता को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक प्रशिक्षु को उनके कौशल विकास के भाग के रूप में अनिवार्य डिजिटल दक्षताओं से लैस करना सुनिश्चित किया जा सके।

- भू-पत्तन सहित पत्तनों और हवाई अड्डों पर प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया गया है।

- लॉजिस्टिक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार करने हेतु मॉडल दिशा-निर्देश, वेयरहाउसिंग मानकों पर ई-हैंडबुक, एनएलपी-मरीन आदि जैसी विभिन्न अन्य पहलें भी की गई हैं।

(ख): पीएमजीएस एनएमपी फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी), केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि आयोजना के स्तर पर एकीकृत योजना, मल्टीमोडेलिटी, इंटर-मोडेलिटी, प्रयासों के तालमेल, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल के आस-पास व्यापक विकास, डेटा-आधारित निर्णय लेने आदि को सुनिश्चित किया जा सके। अब तक, एनपीजी तंत्र के माध्यम से लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 396 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन 396 परियोजनाओं में से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है - जिनमें से 198

परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। मंत्रालय-वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

पिछले 03 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1,115 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 18,493 किमी है तथा पिछले 03 वर्षों के दौरान कुल 32,370 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार, भारतीय रेल की कुल 9,703 किमी लंबाई (40 नई लाइन, 17 गेज कन्वर्जन और 180 लाइन को दोहरा करना) की 237 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए लगभग 1,90,333 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ग): सरकार समय-समय पर विभिन्न अध्ययनों, सर्वेक्षणों आदि के जरिए अपनी पहलों/स्कीमों का आकलन करती है। इसके अलावा, इस संबंध में विश्वविद्यालयों और शोधार्थी विद्वानों द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। इन आकलनों के अनुसार, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, प्रगति, सागरमाला, कनेक्टिविटी अवसंरचना (एक्सप्रेसवे/राष्ट्रीय राजमार्ग/डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर और रेल ट्रैक, औद्योगिक कॉरिडोर/हब) का विकास आदि जैसी एकीकृत आयोजना पहलों ने, कनेक्टेड और प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को आकार दिया है तथा देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता, प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक विकास में सुधार किया है तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है; इन सभी सुधारों का व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को बढ़ावा देने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2025 में डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से लॉजिस्टिक्स लागत का आकलन किया गया है। इस आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी का 7.9% होने का अनुमान है, जो विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह रेखांकित किया गया है कि इन उपायों ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास के प्रभाव पर किए गए एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में प्रत्येक एक रुपए के व्यय से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.2 रुपए की वृद्धि होती है।

अनुबंध-क

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकन की गई परियोजनाओं का मंत्रालय-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर परियोजनाएं	मंजूर किया जाना है	कार्यान्वयन के तहत	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	171	108	63	53	9,01,668
रेल मंत्रालय	162	102	60	102	5,43,315
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	31	17	14	17	2,88,614
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4	4	0	3	9,271
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3	2	1	2	49,759
नागर विमानन मंत्रालय	6	4	2	2	10,005
एनआईसीडीसी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	12	12	0	12	28,693
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	01	1	0	1	20,774
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	01	1	0	1	4,680
वस्त्र मंत्रालय	05	05	0	05	9,760
कुल	**396**	**256**	**140**	**198**	**18,66,539**
